न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/01/2022	2012/185	19.07.2022	05.08.2024

1.प्रभु पुत्र श्यौनाथ जाति गुर्जर निवासी कीटला,
2.जगदीश पुत्र हरसहाय जाति गुर्जर निवासी कीटला,
3.भागीरथ पुत्र रामबक्श जाति गुर्जर निवासी कीटला,
4.बदरी पुत्र रमसी जाति गुर्जर निवासी कीटला,
5.हरीसिंह पुत्र रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी कीटला,
6.विनोद पुत्र हनुमान जाति गुर्जर निवासी कीटला,
7.रामधन पुत्र श्यौनाथ जाति जाति गुर्जर निवासीयान कीटला, तहसील टहला जिला अलवर (राज0)।

——प्रार्थीगण

बनाम

1.मीरा पत्नी श्यौराम जाति गुर्जर निवासी कीटला, तहसील टहला, जिला अलवर राज0।

2.उपखण्ड अधिकारी राजगढ, तहसील राजगढ, जिला अलवर राजस्थान।

——अप्रार्थीगण

उजदारी नियम 14 (4) भू आवंटन अधि. विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ दिनांक 04.03. 2022 ख. नं. 277 रकबा 75 ऐयर वाकै ग्राम कीटला तहसील टहला।

उपस्थितः—

01. श्री देवेन्द्र कुमार जैन — वकील प्रार्थीगण
02. श्री जितेन्द्र पोसवाल — वकील अप्रार्थी 01
03. राजकीय अभिभाषक — वकील अप्रार्थी 02

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ जैर नियम 14 (4) भूमि आवंटन नियम 1970 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ दिनांक 04.03. 2022 ख.नं. 277 रकबा 75 ऐयर वाकै ग्राम कीटला तहसील टहला से व्यथित होकर पेश किया है जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ का निर्णय दिनांक 04.03.2022 बाबत आवंटन आराजी ख.नं. 277 रकबा 75 ऐयर ग्राम कीटला तहसील टहला जिला अलवर (राज.) बहक अप्रार्थी सं. 1 विधि विरूद्ध, न्यायिक प्रक्रिया एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है।दिनांक 03.07.2022 को प्रार्थी/उज्जदार आराजी ख.नं. 277 रकबा 0.75 हैक्टर वाकै ग्राम कीटला तहसील टहला जो कि उनकी खातेदारी की आराजी के बीच में है पर कार्य काश्त कर रहे थे तो अप्रार्थी/गैरसायल व उसके परिवार के सदस्य उक्त आराजी पर आये व प्रार्थी/उजदार को धमकी दी कि दिनांक 04.03.2022 को विवादित आराजी ख.नं. 277 का आवंटन अप्रार्थी सं. 2 से अप्रार्थी सं. 1 ने करा लिया है तुम्हारा उक्त विवादित आराजी से अव कोई संवंध नहीं रहा है तुम्हें बेदखल कर कब्जा करके रहूंगी यह जानकारी होने पर प्रार्थीगण कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ पर आये, जानकारी की और वकीलों से कानूनी सलाह ली और दिनांक 04.07.2022 को आवंटन आदेश की नकल लेने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया दिनांक 07.07.2022 को नकल प्राप्त हुई। आज तक उजदारी प्रस्तुत करने के लिए रूपयों काइंतजाम किया। दिनांक 04.03.2022 से दिनांक 07.07.2022 को आवंटन आदेश की जानकारी नहीं होने के अभाव में व्यतीत हुआ है, को माफ करने के लिए धारा 5 मियाद अधि. का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। उजदारी को आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.07.2022 से अन्दर अवधि शुमार किया जाये।

वक्त आवंटन विवादित आराजी मौके पर खाली नहीं थी। उस पर प्रार्थी उज्जदारों का कब्जा था जो कब्जा लगातार सन् 1985 से चला आ रहा है और आज भी वो काबिज है।गैरसायल/अप्रार्थी भूमिहीन काश्तकार नहीं है। आराजी हाल ख.नं. 277 रकबा 0.75 हैक्टर साबिक ख.नं. 143 मीन रकबा 3 बीघा से बना है जो आराजी पूर्व में नानगा पुत्र जैला जाति गुर्जर को नानगा के कहे अनुसार आवंटित थी, नानगा अप्रार्थी सं. 1 मीरा पत्नी श्योराम का ससुर है जब तक नानगा का आवंटन निरस्त नहीं हो जाता तव तक विवादित आराजी किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं की जा सकती है।अप्रार्थी सं. 2 ने विवादित आराजी को आवंटित करने के लिए कोई उद्घोषणा जारी नहीं की है और ना ही उजदारी ही प्रस्तुत कराई इसलिये प्रार्थी आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। अप्रार्थी सं. 1 व उसके पति व परिवार के लोगों के पास अन्य खातेदारी की आराजी है अप्रार्थी भूमिहीन काश्तकार नहीं है अप्रार्थी ने मिल्लत व अपने राजनैतिक प्रभाव से बिला उद्घोषणा जारी कराये आवंटन गैरकानूनी कराया है जो निरस्तनीय है।आज तक विवादित आराजी पर अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा नहीं है और महिला होने के कारण वह काश्त भी नहीं कर सकती है वह ग्राम कीटला की दूसरी ढाणी में रहती है इसलिये आवंटन गैरकानूनी है और निरस्त होने योग्य है।हरसहाय पुत्र ओमकार, हनुमान पुत्र भगवानसहाय का देहान्त हो चुका है जिनकी वारिसान प्रार्थी/उजदार सं. 2 व 6 है। उज्जदार आज भी मौके पर विवादित आराजी में काबिज होकर काश्त कर रहे तथाभूमिहीन भी हैं।

अतः प्रार्थना पत्र उजदारी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 को दिनांक 04.03.2022 को आराजी ख.नं. 277 रकबा 0.75 हैक्टर वाकै ग्राम कीटला तहसील टहला जिला अलवर (राज.) का आवंटन निरस्त फरमाया जाये।प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पत्रावली मे उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया। अपील में अंकित तथ्य एवं बहस का मिलान किया गया। आवंटन आदेश क्रमांक एल0आर0/आवंटन/2021–22/5905 दिनांक 04.03.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर ने आराजी खसरा न0 277/0.75 है0 किस्म बारानी सम्पूर्ण, वाके ग्राम कीटला, तहसील टहला जिला अलवर भूमि का आवंटन मीरा पत्नी स्व0 स्योराम, जाति गुर्जर निवासी ग्राम कीटला तहसील टहला जिला अलवर को आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन आदेश क्रमांक एल0आर0/आवंटन/2021–22/5905 दिनांक 04.03.2022को पूर्व में ही न्यायालय जिला कलक्टर अलवर में निर्णित प्रकरण संख्या 16/256/2023 निर्णय दिनांक 22.03.2023 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। चूंकि आवंटन पूर्व में ही निरस्त हो चुका है इसलिए न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण में इस स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(द्वितीय)
अलवर (राज0)